भारत सरकार

कौशल विकास और उद्यमशीलता मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 922

उत्तर देने की तारीख 29 जुलाई, 2024

सोमवार, 7 श्रावण, 1946 (शक)

देश में उद्यमशीलता को बढ़ावा देना

922. श्री प्रभाकर रेड्डी वेमिरेड्डी: श्री वाई. एस. अविनाश रेड्डी:

क्या कौशल विकास और उद्यमशीलता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) सरकार द्वारा देश में, आंध्र प्रदेश में उद्यमशीलता को बढ़ावा देने के लिए जारी की जा रही मंजूरी/पहलों/कार्यक्रमों का खाका क्या है;

(ख) पिछले पांच वर्षों और वर्तमान वर्ष के दौरान आंध्र प्रदेश में कार्यान्वित की जा रही प्रत्येक योजना का योजना-वार और वर्ष-वार प्रदर्शन क्या है;

(ग) पिछले पांच वर्षों और वर्तमान वर्ष के दौरान आंध्र प्रदेश में प्रत्येक योजना से जुड़े लोगों का वर्ष-वार और जिला-वार नामांकन क्या है;

(घ) पिछले पांच वर्षों के दौरान केंद्रीय खंड और राज्य से प्रयोगशाला, जारी, जारी और खर्च किए गए समतुल्य अनुदानों का वर्ष-वार, योजना-वार और जिला-वार नामांकन किया गया है; और

(ङ) आज की तारीख के अनुसार, आंध्र प्रदेश में कितना वित्तीय परिवर्तन हुआ है?

उत्तर

कौशल विकास और उद्यमशीलता राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)
(श्री जयन्त चौधरी)

(क) से (ङ) सरकार ने आंध्र प्रदेश राज्य सहित पूरे देश में उद्यमशीलता को बढ़ावा देने के लिए विभिन्न पहल की हैं। उद्यमशीलता को बढ़ावा देने के लिए सरकार के मंत्रालयों/विभागों द्वारा की गई विभिन्न पहलों का विवरण इस प्रकार है:

1. सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम (एमएसएमई) मंत्रालय, खादी और ग्रामोद्योग आयोग (केवीआईसी) के माध्यम से, गैर-कृषि क्षेत्र में नए उद्यम स्थापित करने में उद्यमियों की सहायता के लिए प्रधान मंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम (पीएमईजीपी) कार्यान्वित कर रहा है। इसका उद्देश्य पारंपरिक कारीगरों/ग्रामीण और शहरी बेरोजगार युवाओं को उनके पहुंच क्षेत्र में रोजगार के अवसर प्रदान करना है। पीएमईजीपी एक केंद्रीय क्षेत्र की स्कीम होने के कारण सामान्य श्रेणी के लाभार्थियों को ग्रामीण क्षेत्रों में परियोजना लागत का 25% और शहरी क्षेत्रों में 15% की मार्जिन मनी (एमएम) सब्सिडी के साथ सहायता प्रदान करती है। विशेष श्रेणियों जैसे अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, ओबीसी, अल्पसंख्यक, महिलाएं, पूर्व सैनिक, दिव्यांगजन, ट्रांसजेंडर, पूर्वोत्तर क्षेत्र, पर्वतीय और सीमावर्ती क्षेत्रों और आकांक्षी जिलों से संबंधित लाभार्थियों के लिए मार्जिन मनी सब्सिडी ग्रामीण क्षेत्रों में 35% और शहरी क्षेत्रों में 25% है। परियोजना की अधिकतम लागत विनिर्माण क्षेत्र में 50 लाख रुपए और सेवा क्षेत्र में 20 लाख रुपए है। साथ ही, महिलाओं सहित विशेष श्रेणी के तहत लाभार्थियों का स्वयं का योगदान 05% और सामान्य श्रेणी के लाभार्थियों के लिए 10% है। 2018-19 से, मौजूदा पीएमईजीपी/आरईजीपी/मुद्रा उद्यमों को भी उन्नयन और विस्तार के लिए दूसरे ऋण के साथ पिछले अच्छे कार्यनिष्पादन के आधार पर सहयोग दिया जाता है। दूसरे ऋण के तहत, विनिर्माण क्षेत्र के तहत मार्जिन मनी (एमएम) सब्सिडी के लिए स्वीकार्य अधिकतम परियोजना लागत 1.00 करोड़ रुपए और सेवा क्षेत्र के लिए 25 लाख. रुपए है। सभी श्रेणियों के लिए दूसरे ऋण पर पात्र सब्सिडी परियोजना लागत का 15% (एनईआर और पर्वती राज्यों के लिए 20%) है।

सहायता प्राप्त इकाइयों की संख्या, वितरित मार्जिन मनी सब्सिडी और अनुमानित रोजगार सृजित के संदर्भ में पिछले 5 वर्षों के दौरान आंध्र प्रदेश में पीएमईजीपी का कार्यनिष्पादन इस प्रकार है:

क्र.सं.	**वित्त वर्ष**	**इकाइयां जिनकी सहायता की गई**	**सृजित अनुमानित रोजगार**	**सीमांत राशि (करोड़ रुपए में)**
1	वित्त वर्ष 2019-20	2,198	17,584	90.44
2	वित्त वर्ष 2020-21	1,677	13,416	68.65
3	वित्त वर्ष 2021-22	2,477	19,816	100.88
4	वित्त वर्ष 2022-23	3,073	24,584	129.29
5	वित्त वर्ष 2023-24	5,577	44,616	171.99
6	वित्त वर्ष 2024-25 (12.07.2024 तक)	844	6,752	39.26

सहायता प्राप्त इकाइयों की संख्या, संवितरित मार्जिन मनी सब्सिडी और अनुमानित रोजगार सृजन के संदर्भ में पिछले पांच वर्षों के दौरान आंध्र प्रदेश में पीएमईजीपी का जिला-वार निष्पादन **अनुबंध- I** पर है।

इसके अलावा, लगभग 30 लाख रोजगार (प्रति यूनिट 8 व्यक्ति) के सृजन के साथ लगभग 4 लाख परियोजनाएं (सूक्ष्म उद्यम) स्थापित करने के लिए वित्त वर्ष 2021-22 से वित्त वर्ष 2025-26 की अवधि के लिए पीएमईजीपी के लिए 13,554.42 करोड़ रुपए के परिव्यय को मंजूरी दी गई है। इसके अलावा, प्रत्येक वित्त वर्ष में 1,000 इकाइयों का उन्नयन किया जाएगा। पिछले 5 वर्षों में मार्जिन मनी (एमएम) सब्सिडी के रूप में पीएमईजीपी के तहत जारी निधि का विवरण इस प्रकार है:

वर्ष	**इकाइयों की संख्या जिनकी सहायता की गई**	**मार्जिन मनी सब्सिडी (करोड़ रुपए)**	**सृजित अनुमानित रोजगार**
वि.व 19-20	66,653	1,950.82	5,33,224
वि.व 20-21	74,415	2,188.80	5,95,320
वि.व 21-22	1,03,219	2,977.66	8,25,752
वि.व 22-23	85,167	2,722.17	6,81,336
वि.व 23-24	89,118	3,093.88	7,12,944

2. **इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय (एमईआईटीवाई) -** इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय (एमईआईटीवाई) के तहत स्टार्ट-अप, इनोवेशन और आईपीआर डिवीजन ने देश में प्रौद्योगिकी के नेतृत्व वाले स्टार्टअप और नवाचार इकोसिस्टम को बढ़ावा देने के लिए विभिन्न पहल और उपाय किए हैं। आंध्र प्रदेश सहित यह सक्रिय दृष्टिकोण स्थापित सर्वोत्तम प्रणालियों से निर्मित होता है, जो निरंतर बाधाओं को दूर करके समग्र तकनीकी स्टार्टअप विकास अवसंरचना को सुदृढ़ करने और प्रोत्साहित करने के लिए डिज़ाइन किया गया है। कुछ प्रमुख पहलों को यहां स्पष्ट किया गया है:

(i) **टाइड 2.0 स्कीम:** आईओटी, एआई, ब्लॉक-चेन, रोबोटिक्स इत्यादि जैसी उभरती प्रौद्योगिकियों का उपयोग करके आईसीटी स्टार्टअप का सहयोग करने में कार्यरत इनक्यूबेटरों को वित्तीय और तकनीकी सहायता के माध्यम से तकनीकी उद्यमशीलता को बढ़ावा देने के लिए प्रौद्योगिकी पोषक और उद्यमियों का विकास (टाइड 2.0) स्कीम वर्ष 2019 में शुरू की गई थी। इस स्कीम का उद्देश्य उभरती प्रौद्योगिकियों का लाभ उठाकर राष्ट्रीय चिंता के सात विषयगत क्षेत्रों में तकनीकी-स्टार्टअप को व्यापक सहायता प्रदान करना है। समर्थित विषयगत क्षेत्र स्वास्थ्य सेवा, शिक्षा, कृषि, वित्तीय समावेशन (डिजिटल भुगतान सहित), अवसंरचना और परिवहन और पर्यावरण और स्वच्छ तकनीक हैं। यह स्कीम उच्च शिक्षा संस्थानों और प्रमुख अनुसंधान एवं विकास संगठनों में पोषक कार्यकलापों को बढ़ावा देने के व्यापक उद्देश्य के साथ तीन स्तरीय संरचना के माध्यम से 51 इनक्यूबेटरों के माध्यम से कार्यान्वित की जा रही है। इस स्कीम की परिकल्पना पांच वर्षों की अवधि में लगभग 2000 तकनीकी स्टार्ट-अप को इन्क्यूबेशन सहायता प्रदान करने के लिए की गई है। टाइड 2.0 स्कीम के तहत, निम्नलिखित 5 पोषक केंद्र आंध्र प्रदेश राज्य में टाइड 2.0 केंद्र के रूप में कार्य कर रहे हैं:

क्र.सं.	टाइड 2.0 केंद्र का नाम	जिला जिस से केंद्र संबंधित है	स्टार्ट-अप सहायता	अब तक जारी कुल निधि (करोड़ रुपए में)
1.	आईआईआईटी श्री सिटी में नवाचार और उद्यमशीलता विकास केंद्र (सीआईईडीआई)	चित्तूर	20	1.63
2.	आंध्र प्रदेश - ग्रामीण पोषक केंद्र, विशाखापत्तनम	विशाखापत्तनम	12	1.85
3.	आंध्र प्रदेश इनोवेशन सोसाइटी, चित्तूर	चित्तूर	23	1.12
4.	सेंटर फॉर इनोवेशन इनक्यूबेशन एंड एंटरप्रेन्योरशिप (सीआईआईई), केएल यूनिवर्सिटी, गुंटूर	गुंटूर	22	1.74
5.	आईआईएम विशाखापत्तनम इन्क्यूबेशन सेंटर, विशाखापत्तनम	विशाखापत्तनम	13	1.61

3. विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग (डीएसटी) - डीएसटी 2016 में लॉन्च किए गए अम्ब्रेला प्रोग्राम निधि (नेशनल इनिशिएटिव फॉर डेवलपिंग एंड हार्नेसिंग इनोवेशन) को कार्यान्वित करता है, जिसमें शैक्षणिक सेटअप में नवाचार और उद्यमशीलता का सहयोग करने के लिए विभिन्न घटक हैं। निधि आंध्र प्रदेश सहित पूरे देश में पोषक केंद्र स्थापित करने की सुविधा प्रदान करती है, जो उभरते उद्यमियों और नवप्रवर्तकों को सहायता प्रदान करती है। निधि का समर्थन अवधारणा के प्रमाण (पीओसी), प्रोटोटाइपिंग, क्षमता निर्माण और प्रारंभिक चरण के सीड कोष के लिए भी दिया जाता है। पिछले पांच वर्षों के दौरान, डीएसटी ने आंध्र प्रदेश राज्य में 11 स्टार्टअप इन्क्यूबेशन केंद्रों की स्थापना का सहयोग किया है, जो बदले में विज्ञान और प्रौद्योगिकी क्षेत्र में नवप्रवर्तकों, उद्यमियों और स्टार्टअप की सहायता करता है।

4. ग्रामीण विकास मंत्रालय - स्टार्ट-अप ग्राम उद्यमशीलता कार्यक्रम (एसवीईपी), डीएवाई-एनआरएलएम कार्यक्रम के तहत उप-स्कीम स्वयं सहायता समूह (एसएचजी) या उनके परिवार के सदस्यों को गैर-कृषि क्षेत्र छोटे उद्यम स्थापित करने में सहायता करती है। एसवीईपी को 31 राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों में कार्यान्वित किया गया है, जिसमें 358 परियोजना प्रस्तावों को मंजूरी दी गई है, 235 डीपीआर को मंजूरी दी गई है और 2.98 लाख उद्यमों को सहयोग दिया गया है। एसवीईपी आंध्र प्रदेश राज्य में 14 ब्लॉकों में अनुमोदित है। विवरण इस प्रकार हैं:

क्र.सं.	राज्य	जिला	ब्लॉक
1	आंध्र प्रदेश	चित्तूर	कुप्पम
2	आंध्र प्रदेश	चित्तूर	श्रीकालाहस्ती
3	आंध्र प्रदेश	प्रकाशम	मरकापुर
4	आंध्र प्रदेश	श्रीकाकुलम	नरसन्नपेटा
5	आंध्र प्रदेश	श्रीकाकुलम	राजम
6	आंध्र प्रदेश	विजयनगरम	चीपुरुपल्ली
7	आंध्र प्रदेश	विजयनगरम	श्रृंगवरपुकोटा
8	आंध्र प्रदेश	पश्चिम गोदावरी	टनुकु
9	आंध्र प्रदेश	अनंतपुरम	सिंगनमाला
10	आंध्र प्रदेश	अन्नामैया	थंबल्लापल्ली
11	आंध्र प्रदेश	एनटीआर	मायलावरम
12	आंध्र प्रदेश	विजयनगरम	गजपतिनगरम
13	आंध्र प्रदेश	वाईएसआर	पुलिवेन्दुला
14	आंध्र प्रदेश	डॉ. बी.आर. अम्बेडकर कोनसीमा	कोथापेटा

आंध्र प्रदेश राज्य में एसवीईपी के अंतर्गत सहायता प्राप्त उद्यमों का विवरण इस प्रकार है:

वर्ष	2019-20	2020-21	2021-22	2022-23	2023-24	2024-25
सहयोग प्राप्त उद्यमों की संख्या	4,324	5,586	2,700	18	0	5

पिछले पांच वर्षों में प्रत्येक वर्ष जारी और व्यय केंद्रीय आबंटन और राज्य से समतुल्य अनुदान का विवरण इस प्रकार है:

एसवीईपी सेंट्रल राज्यों को वर्षवार शेयर जारी करता है		*(सभी रकम लाख रुपए में)*										
स्वीकृत निधि	*केंद्र का भाग*	**वर्षवार जारी केन्द्रीय भाग**										
		2015-16	**2016-17**	**2017 - 18**	**2018-19**	**2019-20**	**2020-21**	**2021-22**	**2022-23**	**2023-24**	**2024-25**	*कुल*
5,868.63	3,521.18	120.00	913.89	198.85	781.10	275.72	261.32	0.00	0.00	0	0.00	2,550.88

नोट: एसवीईपी मांग आधारित स्कीम है और इसलिए आबंटन नहीं किया जा रहा है।

5. उद्योग और आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग (डीपीआईआईटी) - सरकार ने नवाचार को बढ़ावा देने और निवेश को प्रोत्साहित करने के लिए एक सुदृढ़ इकोसिस्टम तैयार करने के इरादे से 16 जनवरी 2016 को स्टार्टअप इंडिया पहल शुरू की। स्टार्टअप इंडिया पहल के तहत सरकार द्वारा विशिष्ट उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए, विभिन्न कार्यक्रम कार्यान्वित किए जाते हैं। पहल के तहत सरकार द्वारा उठाए गए सभी कदम समावेशी हैं और आंध्र प्रदेश राज्य सहित राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों (यूटी), शहरों, कस्बों और ग्रामीण क्षेत्रों में कार्यान्वित किए गए हैं। ऐसी सरकारी पहलों का विवरण **अनुबंध- II** के रूप में दिया गया है।

जी.एस.आर. के तहत निर्धारित पात्रता शर्तों के अनुसार अधिसूचना 127 (ई) दिनांक 19 फरवरी 2019, उद्योग और आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग (डीपीआईआईटी) द्वारा स्टार्टअप इंडिया पहल के तहत संस्थाओं को 'स्टार्टअप' के रूप में मान्यता दी गई है। डीपीआईआईटी ने 30 जून 2024 तक 1,40,803 संस्थाओं को स्टार्टअप के रूप में मान्यता दी है। आंध्र प्रदेश राज्य में 30 जून 2024 तक 2,252 संस्थाओं को स्टार्टअप के रूप में मान्यता दी गई है।

स्टार्टअप इंडिया पहल के तहत, सरकार स्टार्टअप्स को उनके व्यवसाय चक्र के विभिन्न चरणों में सहयोग देने के लिए प्रमुख स्कीमें, अर्थात् स्टार्टअप्स के लिए फंड ऑफ फंड्स (एफएफएस), स्टार्टअप इंडिया सीड फंड स्कीम (एसआईएसएफएस) और स्टार्टअप्स के लिए क्रेडिट गारंटी स्कीम (सीजीएसएस) कार्यान्वित कर रही है।

एसआईएसएफएस इनक्यूबेटरों के माध्यम से सीड चरण स्टार्टअप को वित्तीय सहायता प्रदान करता है। एसआईएसएफएस के पास 945 करोड़ रुपए का कोष है और 1 अप्रैल 2021 से कार्यान्वित किया गया है। 30 जून 2024 तक, एसआईएसएफएस के तहत, 205 इनक्यूबेटरों को 862.84 करोड़ रुपए स्वीकृत किए गए हैं।

एफएफएस की स्थापना उद्यम पूंजी निवेश को उत्प्रेरित करने के लिए की गई है और इसका संचालन भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक (सिडबी) द्वारा किया जाता है, जो भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (सेबी)-पंजीकृत वैकल्पिक निवेश कोष (एआईएफ) को पूंजी प्रदान करता है जो बदले में स्टार्टअप में निवेश करते हैं। .30 जून 2024 तक, एफएफएस के तहत 138 एआईएफ को 10,804.7 करोड़ रुपए दिए गए हैं।

आंध्र प्रदेश राज्य में दो स्कीमों अर्थात एसआईएसएफएस और एफएफएस के अंतर्गत स्टार्टअप्स को पिछले 5 वर्षों अर्थात 2019, 2020, 2021, 2022, 2023 और 2024 में प्रदान की गई सहायता का विवरण इस प्रकार हैं:

क्र.सं.	**विवरण**	**2019**	**2020**	**2021**	**2022**	**2023**	**2024 (30 जून, 2024 को)**
स्टार्ट-अप इंडिया सीड निधि स्कीम							
1.	इनक्यूबेटरों द्वारा चयनित स्टार्टअप्स की कुल संख्या	1 अप्रैल 2021 से कार्यान्वित		-	7	25	13
2.	इनक्यूबेटरों द्वारा स्टार्टअप्स को स्वीकृत कुल राशि (करोड़ रुपए में)			-	0.78	3.80	2.46
स्टार्ट-अप्स के लिए निधि कोष							
1.	एआईएफ द्वारा सहायता प्राप्त स्टार्टअप्स की कुल संख्या	-	-	-	-	1	-
2.	समर्थित एआईएफ द्वारा स्टार्टअप्स में निवेश की गई कुल राशि (करोड़ रुपए में)	-	-	-	-	11.25	-

6. कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय (एमओए एंड एफडब्ल्यू) - कृषि-क्लिनिक और कृषि-व्यवसाय केंद्र (एसी&एबीसी) स्कीम के तहत, कृषि और किसान कल्याण विभाग, कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार की प्रमुख स्कीम कृष्णोन्नति स्कीम का कृषि विस्तार, का विस्तार प्रभाग सार्वजनिक विस्तार के प्रयासों को पूरा करने, कृषि विकास का सहयोग करने और कृषि और संबद्ध क्षेत्रों में अर्हता रखने वाले बेरोजगार युवाओं के लिए लाभकारी स्व-रोजगार के अवसर पैदा करने के लिए अप्रैल, 2002 से एक केंद्रीय क्षेत्र घटक, "कृषि-क्लिनिक और कृषि-व्यवसाय केंद्रों (एसी और एबीसी) की स्थापना" को कार्यान्वित कर रहा है। राष्ट्रीय कृषि विस्तार प्रबंधन संस्थान (मैनेज), हैदराबाद प्रशिक्षण घटक के लिए कार्यान्वयन एजेंसी है और राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक (नबार्ड) एसी&एबीसी कार्यक्रम के सब्सिडी घटक के लिए कार्यान्वयन एजेंसी है। मैनेज के साथ एमओयू के तहत चयनित नोडल प्रशिक्षण संस्थानों (एनटीआई) के माध्यम से मैनेज को देश के विभिन्न भागों में कार्यान्वित किया जाएगा।

कार्यक्रम के अंतर्गत प्रशिक्षित उम्मीदवारों द्वारा लिए गए बैंक ऋण पर क्रेडिट लिंक्ड बैक-एंडेड अपफ्रंट समग्र सब्सिडी का प्रावधान है। महिलाओं, एससी/एसटी और पूर्वोत्तर और पर्वतीय राज्यों के सभी श्रेणियों के उम्मीदवारों के लिए सब्सिडी 44% और अन्य श्रेणियों के लिए 36% है। व्यक्तिगत मामले में 20 लाख रुपए तक और समूह परियोजनाओं (5 प्रशिक्षित उम्मीदवारों के समूह द्वारा स्थापित उद्यमों के लिए) के मामले में 100 लाख रुपए तक के ऋण के लिए सब्सिडी स्वीकार्य है।

प्रशिक्षित उम्मीदवारों, स्थापित उद्यम और जारी सब्सिडी का राज्य-वार और वर्ष-वार डेटा **अनुबंध-III** में संलग्न है।

कार्यान्वयन एजेंसियों को निधि जारी की जा रही है। इस केंद्रीय क्षेत्र घटक के तहत राज्यवार आबंटन नहीं किया जाता है। हालाँकि, पिछले पाँच वर्षों के आबंटन और व्यय का विवरण नीचे दिया गया है:

वित्त वर्ष	**आबंटन(करोड़ रुपए में)**	**जारी/व्यय (करोड़ रुपए में)**
2019-20	38.09	38.09
2020-21	14.80	14.80
2021-22	26.48	26.48
2022-23	29.00	29.00
2023-24	29.00	29.00

7. कौशल विकास और उद्यमशीलता मंत्रालय (एमएसडीई) राष्ट्रीय उद्यमिता और लघु व्यवसाय विकास संस्थान (निस्बड) के माध्यम से आंध्र प्रदेश राज्य सहित देश भर में उद्यमियों के सशक्तिकरण, उत्थान और विकास के लिए काम कर रहा है। इसमें की गई पहलों का विवरण इस प्रकार है:

(i) निस्बड ने सीमांत जन-समुदाय सहित समाज के विभिन्न वर्गों में उद्यमशीलता इकोसिस्टम को सुदृढ़ करने के लिए एमएसडीई के आजीविका संवर्धन के लिए कौशल अर्जन और ज्ञान जागरूकता (संकल्प) कार्यक्रम को कार्यान्वित किया है। वित्त वर्ष 2023-24 के दौरान आंध्र प्रदेश राज्य में संकल्प परियोजना के तहत कुल 515 प्रतिभागियों को प्रशिक्षित किया गया है। जिलेवार विवरण इस प्रकार है:

राज्य	**जिला**	**लाभार्थियों की संख्या**
आंध्र प्रदेश	गुंटूर	244
	प्रकाशम	81
	विशाखापत्तनम	190
	कुल	**515**

(ii) **पीएमजनमन** - माननीय प्रधान मंत्री ने 15 नवंबर, 2023 को झारखंड के खूंटी जिले में जनजातीय गौरव दिवस पर जनजातीय कार्य मंत्रालय (एमओटीए) की एक स्कीम, प्रधान मंत्री जनजातीय आदिवासी न्याय महा अभियान (पीएमजनमन) का शुभारंभ किया। मिशन का उद्देश्य 1 संघ राज्य क्षेत्र सहित 18 राज्यों में रहने वाले 75 विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूहों (पीवीटीजी) का लक्षित विकास करना है। इन समुदायों को आम तौर पर मंत्रालयों/विभागों की स्कीमों/सहयोग से बाहर रखा गया था और इसलिए इस मिशन के माध्यम से बहु-क्षेत्रीय सहायता की आवश्यकता है। यह स्कीम 200 जिलों के लगभग 22,000 गांवों में कौशल विकास

और उद्यमशीलता मंत्रालय सहित 9 प्रमुख मंत्रालयों से संबंधित 11 महत्वपूर्ण सहयोगों पर केंद्रित है। मिशन में प्रमुख सहयोगों में से एक इन समुदायों के उपयुक्त कौशल के अनुसार पीवीटीजी बस्तियों, बहुउद्देशीय केंद्रों, जनजातीय छात्रावासों, प्रशिक्षण कौशल, वनधन विकास केंद्र के उद्यमशीलता विकास में कौशल और व्यावसायिक प्रशिक्षण की सुविधा प्रदान करना है। आंध्र प्रदेश में पीएमजनमन परियोजना के अंतर्गत कुल 7637 प्रतिभागियों को प्रशिक्षित किया गया है। निस्बड ने 109 प्रतिभागियों को मास्टर ट्रेनर्स प्रशिक्षण कार्यक्रम, 4,107 प्रतिभागियों को उद्यमशीलता जागरूकता कार्यक्रम (ईएपी), 3,323 प्रतिभागियों को उद्यमशीलता विकास कार्यक्रम (ईडीपी) और 98 प्रतिभागियों को उद्यमशीलता कौशल विकास कार्यक्रम (ईएसडीपी) प्रदान किया है। जिले-वार विवरण इस प्रकार हैं:

राज्य	**जिला**	**लाभार्थियों की संख्या**				**वर्ष**
		टीओटी	**ईएपी**	**ईडीपी**	**ईएसडीपी**	
आंध्र प्रदेश	अल्लूरी सीतारमा राजू	40	805	544	98	2024-25
	एलुरु	0	87	0	0	2024-25
	पार्वतीपुरममन्यम	69	747	674	0	2024-25
	श्रीकाकुलम	0	2468	2105	0	2024-25
	योग	**109**	**4107**	**3323**	**98**	2024-25
	कुल योग	**7637**				

अनुबंध-I

"देश में उद्यमशीलता को बढ़ावा देना" के संबंध में दिनांक 29.07.2024 को पूछे गए लोक सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 922 के उत्तर के संदर्भ में

सहायता प्राप्त इकाइयों की संख्या, वितरित सीमांत राशि सब्सिडी और अनुमानित रोजगार सृजन के संदर्भ में विगत पांच वर्षों के दौरान आंध्र प्रदेश में पीएमईजीपी का जिलावार निष्पादन निम्नानुसार है:

वित्त वर्ष 2024-25 (12.07.2024 तक)

क्र.सं.	जिला	सहायता प्राप्त इकाइयां	अनुमानित रोजगार सृजन	एमएम (लाख रुपए में)
1	पश्चिम गोदावरी	58	464	263.94
2	श्रीकाकुलम	57	456	285.56
3	पूर्वी गोदावरी	55	440	256.35
4	कडपा (वाईएसआर)	54	432	245.77
5	नेल्लोर	53	424	257.07
6	प्रकाशम	52	416	213.54
7	कोनासीमा	47	376	250.87
8	विजयनगरम	42	336	189.57
9	अन्नमय्या	39	312	139.3
10	चित्तूर	38	304	153.32
11	काकीनाडा	34	272	169.19
12	पालनाडू	32	256	163.76
13	श्री सत्य साईं	32	256	164.08
14	कृष्णा	30	240	135.07
15	तिरुपति	30	240	118.58
16	गुंटूर	29	232	168.49
17	कुरनूल	27	216	118.73
18	अनंतपुर	27	216	120.88
19	एलुरु	22	176	119.36
20	अनकापल्ली	20	160	95.89
21	एनटीआर	16	128	73.12
22	नांदयाल	15	120	61.93
23	बापतला	14	112	50.4
24	पार्वतीपुरम मन्यम	11	88	56.8
25	विशाखापत्तनम	9	72	50.75
26	अल्लूरी सीतारमा राजू	1	8	4.25
योग		**844**	**6,752**	**3,926.57**

वित्त वर्ष 2023-24

क्र.सं.	जिला	सहायता प्राप्त इकाइयां	अनुमानित रोजगार सृजन	एमएम (लाख रुपए में)
1	विजयनगरम	687	5,496	904.47
2	अन्नमय्या	630	5,040	1,056.63
3	तिरुपति	503	4,024	873.49
4	पूर्वी गोदावरी	309	2,472	1,234.06
5	श्रीकाकुलम	267	2,136	1,131.19
6	चित्तूर	240	1,920	611.62
7	अनंतपुर	228	1,824	658.78
8	श्री सत्य साईं	215	1,720	997.31
9	प्रकाशम	212	1,696	719.91
10	पश्चिम गोदावरी	197	1,576	724.46
11	कडपा (वाईएसआर)	168	1,344	602.5
12	गुंटूर	164	1,312	1,008.46
13	कुरनूल	162	1,296	450.04
14	कोनासीमा	156	1,248	633.44
15	नेल्लोर	153	1,224	698.84
16	कृष्णा	149	1,192	695.58
17	एलुरु	147	1,176	676.34
18	बापतला	146	1,168	399.38
19	अनकापल्ली	144	1,152	565.34
20	काकीनाडा	136	1,088	587.31
21	एनटीआर	133	1,064	376.48
22	नानादयाल	107	856	259.45
23	पालनाडू	106	848	636.59
24	विशाखापत्तनम	93	744	431.28
25	पार्वतीपुरममन्यम	67	536	187.74
26	अल्लूरी सीतारमा राजू	58	464	79.15
योग		**5,577**	**44,616**	**17,199.84**

वित्त वर्ष 2022-23

क्र.सं.	जिला	सहायता प्राप्त इकाइयां	अनुमानित रोजगार सृजन	एमएम (लाख रुपए में)
1	पूर्वी गोदावरी	345	2,760	1,540.25
2	नेल्लोर	234	1,872	971.54
3	पश्चिम गोदावरी	233	1,864	887.44
4	गुंटूर	206	1,648	1,051.51
5	अनंतपुर	179	1,432	637.46
6	विजयनगरम	169	1,352	445.92
7	प्रकाशम	165	1,320	632.7
8	चित्तूर	163	1,304	620.38
9	श्रीकाकुलम	157	1,256	745.99
10	कडपा (वाईएसआर)	153	1,224	618.62
11	कुरनूल	152	1,216	457.87
12	कृष्णा	131	1,048	559.6
13	एलुरु	110	880	504.68
14	विशाखापत्तनम	98	784	451.72
15	कोनासीमा	81	648	456.8
16	श्री सत्य साई	77	616	574.36
17	काकीनाडा	74	592	397.63
18	अनकापल्ली	52	416	348.21
19	अन्नमय्या	49	392	159.05
20	पालनाडू	48	384	236.33
21	बापतला	47	376	162.52
22	तिरुपति	46	368	189.01
23	एनटीआर	32	256	111.16
24	अल्लूरी सीतारमा राजू	28	224	26.32
25	नांदयाल	23	184	68.15
26	पार्वतीपुरम मन्यम	21	168	74.72
योग		**3,073**	**24,584**	**12,929.94**

वित्त वर्ष 2021-22

क्र.सं.	जिला	सहायता प्राप्त इकाइयां	अनुमानित रोजगार सृजन	एमएम (लाख रुपए में)
1	पूर्वी गोदावरी	360	2,880	1,707.41
2	पश्चिम गोदावरी	241	1,928	997.71
3	गुंटूर	240	1,920	1,127.63
4	चित्तूर	206	1,648	713.85
5	अनंतपुर	199	1,592	690.71
6	प्रकाशम	197	1,576	742.11
7	कृष्णा	194	1,552	800.13
8	श्रीकाकुलम	157	1,256	723.95
9	कुरनूल	149	1,192	509.53
10	नेल्लोर	147	1,176	531.48
11	विजयनगरम	141	1,128	534.52
12	विशाखापत्तनम	127	1,016	545.1
13	कडपा (वाईएसआर)	119	952	464.44
14	अल्लूरी सीतारमा राजू	0	-	-
15	अनकापल्ली	0	-	-
16	अन्नमय्या	0	-	-
17	बापतला	0	-	-
18	एलुरु	0	-	-
19	काकीनाडा	0	-	-
20	कोनासीमा	0	-	-
21	नानादयाल	0	-	-
22	एनटीआर	0	-	-
23	पालनाडू	0	-	-
24	पार्वतीपुरम मन्यम	0	-	-
25	श्री सत्य साईं	0	-	-
26	तिरुपति	0	-	-
योग		**2,477**	**19,816**	**10,088.56**

वित्त वर्ष 2020-21

क्र.सं.	जिला	सहायता प्राप्त इकाइयां	अनुमानित रोजगार सृजन	एमएम (लाख रुपए में)
1	पूर्वी गोदावरी	301	2,408	1,294.38
2	पश्चिम गोदावरी	179	1,432	1,009.60
3	गुंटूर	145	1,160	634.37
4	चित्तूर	135	1,080	354.48
5	अनंतपुर	178	1,424	474.91
6	प्रकाशम	157	1,256	640.69
7	कृष्णा	97	776	492.48
8	श्रीकाकुलम	86	688	376.95
9	कुरनूल	80	640	242.77
10	नेल्लोर	95	760	289.80
11	विजयनगरम	78	624	379.66
12	विशाखापत्तनम	77	616	367.64
13	कडपा (वाईएसआर)	69	552	308.27
14	अल्लूरी सीतारमा राजू	-	-	-
15	अनकापल्ली	-	-	-
16	अन्नमय्या	-	-	-
17	बापतला	-	-	-
18	एलुरु	-	-	-
19	काकीनाडा	-	-	-
20	कोनासीमा	-	-	-
21	नांदयाल	-	-	-
22	एनटीआर	-	-	-
23	पालनाडू	-	-	-
24	पार्वतीपुरममन्यम	-	-	-
25	श्री सत्य साईं	-	-	-
26	तिरुपति	-	-	-
योग		**1,677**	**13,416**	**6,865.99**

वित्त वर्ष 2019-20

क्र.सं.	जिला	सहायता प्राप्त इकाइयां	अनुमानित रोजगार सृजन	एमएम (लाख रुपए में)
1	पूर्वी गोदावरी	344	2,752	1429.87
2	पश्चिम गोदावरी	248	1,984	1193.79
3	अनंतपुर	240	1,920	483.371
4	प्रकाशम	191	1,528	730.16
5	गुंटूर	173	1,384	665.22
6	चित्तूर	160	1,280	603.27
7	श्रीकाकुलम	145	1,160	685.28
8	कृष्णा	130	1,040	659.31
9	कुरनूल	130	1,040	516.90
10	विशाखापत्तनम	125	1,000	627.98
11	विजयनगरम	121	968	603.19
12	नेल्लोर	106	848	423.71
13	कडपा (वाईएसआर)	84	672	417.14
14	करीमनगर	1	8	5.25
15	अल्लूरी सीतारमा राजू	-	0	0
16	अनकापल्ली	-	0	0
17	अन्नमय्या	-	0	0
18	एलुरु	-	0	0
19	काकीनाडा	-	0	0
20	कोनासीमा	-	0	0
21	नानादयाल	-	0	0
22	एनटीआर	-	0	0
23	पालनाडू	-	0	0
24	पार्वतीपुरम मन्यम	-	0	0
25	श्री सत्य साईं	-	0	0
26	तिरुपति	-	0	0
योग		**2,198**	**17,584**	**9,044.49**

<u>अनुबंध- II</u>

देश भर में स्टार्ट-अप को बढ़ावा देने के लिए सरकार द्वारा शुरू किए गए विभिन्न कार्यक्रमों का विवरण इस प्रकार है:

1. स्टार्ट-अप इंडिया एक्शन प्लान: 16 जनवरी 2016 को स्टार्टअप इंडिया के लिए एक एक्शन प्लान का अनावरण किया गया था। एक्शन प्लान में "सरलीकरण और हैंडहोल्डिंग", "फंडिंग सहयोग और प्रोत्साहन" और "उद्योग-शिक्षा, साझेदारी और पोषक " जैसे क्षेत्रों में फैले 19 एक्शन आइटम शामिल हैं। कार्य योजना ने देश में एक जीवंत स्टार्टअप इकोसिस्टम बनाने के लिए परिकल्पित सरकारी सहयोग, स्कीमों और प्रोत्साहनों की नींव रखी।

2. स्टार्टअप इंडिया: भावी योजना: स्टार्टअप इंडिया: स्टार्टअप इंडिया के 5 वर्ष पूरे होने के उत्सव में 16 जनवरी 2021 को अनावरण किया गया, जिसमें स्टार्टअप के लिए व्यापार करने में आसानी को बढ़ावा देने के लिए कार्रवाई योग्य स्कीमें, विभिन्न सुधारों को क्रियान्वित करने में प्रौद्योगिकी की बड़ी भूमिका, हितधारकों की क्षमता का निर्माण और डिजिटल आत्मनिर्भर भारत को सक्षम करना शामिल है।

3. स्टार्टअप इंडिया सीड फंड स्कीम (एसआईएसएफएस): किसी उद्यम के विकास के शुरुआती चरणों में उद्यमियों के लिए पूंजी की आसान उपलब्धता आवश्यक है। इस स्तर पर आवश्यक पूंजी अक्सर अच्छे व्यावसायिक विचारों वाले स्टार्टअप के लिए बनाने या बिगाड़ने की स्थिति प्रस्तुत करती है। इस स्कीम का उद्देश्य अवधारणा के प्रमाण, प्रोटोटाइप विकास, उत्पाद परीक्षण, बाजार में प्रवेश और व्यावसायीकरण के लिए स्टार्टअप को वित्तीय सहायता प्रदान करना है। 2021-22 से शुरू होने वाली 4 वर्षों की अवधि के लिए एसआईएसएफएस स्कीम के तहत 945 करोड़ रुपए स्वीकृत किए गए हैं।

4. स्टार्ट-अप्स के लिए फंड ऑफ फंड्स (एफएफएस) स्कीम: सरकार ने स्टार्टअप्स की निधीयन जरूरतों को पूरा करने के लिए 10,000 करोड़ रुपए के कोष के साथ एफएफएस की स्थापना की है। डीपीआईआईटी मानीटरिंग एजेंसी है और भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक (सिडबी।) एफएफएस की संचालन एजेंसी है। निधि स्कीम की प्रगति और धन की उपलब्धता के आधार पर 14वें और 15वें वित्त आयोग चक्र में कुल 10,000 करोड़ रुपए प्रदान करने की परिकल्पना की गई है। इसने न केवल शुरुआती चरण, सीड चरण और विकास चरण में स्टार्टअप के लिए पूंजी उपलब्ध कराई है, बल्कि घरेलू पूंजी जुटाने की सुविधा, विदेशी पूंजी पर निर्भरता कम करने और घरेलू और नए उद्यम पूंजी कोष को प्रोत्साहित करने में भी उत्प्रेरक की भूमिका निभाई है।

5. स्टार्टअप्स के लिए क्रेडिट गारंटी स्कीम (सीजीएसएस): सरकार ने अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों, गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों (एनबीएफसी) और वेंचर डेट फंड्स वीडीएफ) सेबी के तहत पंजीकृत वैकल्पिक निवेश कोष द्वारा डीपीआईआईटी मान्यता प्राप्त स्टार्टअप्स को दिए गए ऋणों पर क्रेडिट गारंटी प्रदान करने के लिए स्टार्टअप्स के लिए क्रेडिट गारंटी स्कीम की स्थापना की है। सीजीएसएस का उद्देश्य पात्र उधारकर्ताओं को वित्तपोषित करने के लिए सदस्य संस्थानों (एमआई) द्वारा दिए गए ऋणों के विरुद्ध एक निर्दिष्ट सीमा तक क्रेडिट गारंटी अर्थात डीपीआईआईटी ने स्टार्टअप को मान्यता प्रदान करना है।

6. नियामक सुधार: व्यवसाय करने में आसानी बढ़ाने, पूंजी जुटाने में आसानी और स्टार्टअप इकोसिस्टम के लिए अनुपालन बोझ को कम करने के लिए 2016 से सरकार द्वारा 55 से अधिक नियामक सुधार किए गए हैं।

7. क्रय में आसानी: क्रय में आसानी को सक्षम करने के लिए, केंद्रीय मंत्रालयों/विभागों को गुणवत्ता और तकनीकी विशिष्टताओं को पूरा करने के अधीन सभी डीपीआईआईटी मान्यता प्राप्त स्टार्टअप के लिए सार्वजनिक क्रय में पूर्व टर्नओवर और पूर्व अनुभव की शर्तों में ढील देने का निर्देश दिया गया है। इसके अतिरिक्त, सरकारी ई-मार्केटप्लेस (जेम) स्टार्टअप्स से सरकार द्वारा उत्पादों और सेवाओं के क्रय की सुविधा और बढ़ावा भी देता है।

8. श्रम और पर्यावरण विधानों के तहत स्व-प्रमाणन: स्टार्टअप को निगमन की तिथि से 3 से 5 वर्ष की अवधि के लिए 9 श्रम और 3 पर्यावरण विधानों के तहत अपने अनुपालन को स्व-प्रमाणित करने की अनुमति है।

9. 3 वर्ष के लिए आयकर छूट: 1 अप्रैल 2016 या उसके बाद निगमित स्टार्टअप आयकर छूट के लिए आवेदन कर सकते हैं। जिन मान्यताप्राप्त स्टार्टअप को अंतर-मंत्रालयी बोर्ड प्रमाणपत्र प्रदान किया जाता है, उन्हें निगमन के बाद से 10 वर्षों में से निरंतर 3 वर्षों की अवधि के लिए आयकर से छूट दी जाती है।

10. स्टार्टअप्स के लिए तेजी से निकास: सरकार ने स्टार्टअप्स को 'फास्ट ट्रैक फर्मों' के रूप में अधिसूचित किया है, जिससे उन्हें अन्य कंपनियों के लिए 180 दिनों की तुलना में 90 दिनों के भीतर परिचालन बंद करने में सक्षम बनाया गया है।

11. अधिनियम (2019) की धारा 56 की उपधारा (2) के खंड (VII) (बी) के प्रयोजन के लिए छूट: एक डीपीआईआईटी मान्यता प्राप्त स्टार्टअप आयकर अधिनियम की धारा 56(2)(viiख) के उपबंधों से छूट के लिए पात्र है।

12. बौद्धिक संपदा संरक्षण के लिए सहयोग: स्टार्टअप फास्ट-ट्रैक पेटेंट आवेदन परीक्षा और निपटान के लिए पात्र हैं। सरकार ने स्टार्ट-अप्स बौद्धिक संपदा संरक्षण (एसआईपीपी) आरंभ किया, जो स्टार्टअप्स को केवल वैधानिक शुल्क का भुगतान करके उचित आईपी कार्यालयों में पंजीकृत सुविधाकर्ताओं के माध्यम से पेटेंट, डिजाइन और ट्रेडमार्क के लिए आवेदन दाखिल करने की सुविधा देता है। इस स्कीम के अंतर्गत सुविधा प्रदाता विभिन्न आईपीआर पर सामान्य सलाह और अन्य देशों में आईपीआर की सुरक्षा और प्रचार के बारे में जानकारी प्रदान करने के लिए जिम्मेदार हैं। सरकार किसी भी संख्या में पेटेंट, ट्रेडमार्क या डिज़ाइन के लिए सुविधा प्रदाताओं की पूरी फीस वहन करती है, और स्टार्टअप केवल देय वैधानिक शुल्क की लागत वहन करते हैं। स्टार्टअप्स को अन्य कंपनियों की तुलना में पेटेंट दाखिल करने में 80% की छूट और ट्रेडमार्क भरने में 50% की छूट प्रदान की जाती है।

13. स्टार्टअप इंडिया हब: सरकार ने 19 जून 2017 को एक स्टार्टअप इंडिया ऑनलाइन हब आरंभ किया, जो भारत में उद्यमशीलता इकोसिस्टम के सभी हितधारकों के लिए एक-दूसरे को खोजने, जुड़ने और जुड़ने के लिए अपनी तरह का एक ऑनलाइन मंच है। ऑनलाइन हब स्टार्टअप्स, निवेशकों, फंडों, सलाहकारों, शैक्षणिक संस्थानों, इनक्यूबेटर्स, एक्सेलेरेटर्स, कॉरपोरेट्स, सरकारी निकायों और बहुत कुछ को होस्ट करता है।

14. भारतीय स्टार्ट-अप्स के लिए अंतर्राष्ट्रीय बाजार तक पहुंच: स्टार्टअप इंडिया पहल के तहत प्रमुख उद्देश्यों में से एक विभिन्न जुड़ाव मॉडल के माध्यम से भारतीय स्टार्टअप इकोसिस्टम को वैश्विक स्टार्टअप इकोसिस्टम से जोड़ने में सहायता करना है। यह अंतरराष्ट्रीय सरकार दर सरकार साझेदारी, अंतरराष्ट्रीय मंचों में भागीदारी और वैश्विक कार्यक्रमों की मेजबानी के माध्यम से किया गया है। स्टार्टअप इंडिया ने लगभग 20 देशों के साथ ब्रिज आरंभ किया है जो साझेदार देशों के स्टार्टअप के लिए एक सॉफ्ट-लैंडिंग प्लेटफॉर्म प्रदान करता है और परस्पर सहयोग को बढ़ावा देने में सहायता करता है।

15. स्टार्टअप इंडिया शोकेस: स्टार्टअप इंडिया शोकेस देश के सबसे होनहार स्टार्टअप के लिए एक ऑनलाइन खोज मंच है, जिसे वर्चुअल प्रोफाइल के रूप में प्रदर्शित स्टार्टअप के लिए विभिन्न कार्यक्रमों के माध्यम से चुना जाता है। मंच पर प्रदर्शित स्टार्टअप स्पष्ट रूप से अपने क्षेत्रों में सर्वश्रेष्ठ बनकर उभरे हैं। ये नवाचार फिनटेक, एंटरप्राइजटेक, सोशल इम्पैक्ट, हेल्थटेक, एडटेक जैसे विभिन्न अत्याधुनिक क्षेत्रों में फैले हुए हैं। ये स्टार्टअप महत्वपूर्ण समस्याओं का समाधान कर रहे हैं और उन्होंने अपने संबंधित क्षेत्रों में असाधारण नवाचार दिखाया है। इकोसिस्टम हितधारकों ने इन स्टार्टअप्स का पोषण और सहयोग किया है, जिससे इस मंच पर उनकी उपस्थिति मान्य हुई है।

16. राष्ट्रीय स्टार्टअप सलाहकार परिषद: सरकार ने जनवरी 2020 में स्थायी आर्थिक विकास को बढ़ावा देने और बड़े पैमाने पर रोजगार के अवसर पैदा करने के लिए देश में नवाचार और स्टार्टअप को बढ़ावा देने के लिए एक सुदृढ़ इकोसिस्टम बनाने के लिए आवश्यक उपायों पर सरकार को सलाह देने के लिए राष्ट्रीय स्टार्टअप सलाहकार परिषद के गठन को अधिसूचित किया। पदेन सदस्यों के अलावा, परिषद में अनेक गैर-आधिकारिक सदस्य हैं, जो स्टार्टअप इकोसिस्टम के विभिन्न हितधारकों का प्रतिनिधित्व करते हैं।

17. राष्ट्रीय स्टार्टअप पुरस्कार (एनएसए): राष्ट्रीय स्टार्टअप पुरस्कार उन उत्कृष्ट स्टार्टअप और इकोसिस्टम सहयोगियों को पहचानने और पुरस्कृत करने की एक पहल है जो रोजगार सृजन या धन सृजन की उच्च क्षमता के साथ नवीन उत्पादों या समाधानों और स्केलेबल उद्यमों का निर्माण कर रहे हैं, जो मापने योग्य सामाजिक प्रभाव का निष्पादन कर रहे हैं। विभिन्न ट्रैकों पर सभी फाइनलिस्टों को हैंडहोल्डिंग, इन्वेस्टर कनेक्ट, मेंटरशिप, कॉरपोरेट कनेक्ट, गवर्नमेंट कनेक्ट, इंटरनेशनल मार्केट एक्सेस, रेगुलेटरी सपोर्ट, दूरदर्शन और स्टार्टअप इंडिया शोकेस पर स्टार्टअप चैंपियंस इत्यादि सहयोग प्रदान किया जाता है।

18. राज्यों का स्टार्टअप रैंकिंग फ्रेमवर्क (एसआरएफ): राज्यों का स्टार्टअप रैंकिंग फ्रेमवर्क प्रतिस्पर्धी संघवाद की ताकत का दोहन करने और देश में एक समृद्ध स्टार्टअप इकोसिस्टम बनाने की एक अनूठी पहल है। रैंकिंग कार्य का प्रमुख उद्देश्य राज्यों को अच्छी प्रणालियों की पहचान करने, सीखने और बदलने की सुविधा प्रदान करना, स्टार्टअप इकोसिस्टम को बढ़ावा देने और राज्यों के बीच प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा देने के लिए राज्यों द्वारा नीतिगत सहयोग को उजागर करना है।

19. दूरदर्शन पर स्टार्टअप चैंपियंस: दूरदर्शन पर स्टार्टअप चैंपियंस कार्यक्रम एक घंटे का साप्ताहिक कार्यक्रम है जो पुरस्कार विजेता/राष्ट्रीय स्तर पर मान्यता प्राप्त स्टार्टअप की

कहानियों को कवर करता है। इसे दूरदर्शन नेटवर्क के चैनलों पर हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं में प्रसारित किया जाता है।

20. स्टार्टअप इंडिया इनोवेशन वीक: सरकार राष्ट्रीय स्टार्टअप दिवस अर्थात 16 जनवरी के आसपास स्टार्टअप इंडिया इनोवेशन सप्ताह का आयोजन करती है, जिसका प्राथमिक लक्ष्य देश के प्रमुख स्टार्टअप्स, उद्यमियों, निवेशकों, इनक्यूबेटरों, फंडिंग संस्थाओं, बैंकों, नीति निर्माताओं और अन्य राष्ट्रीय/अंतर्राष्ट्रीय हितधारक उद्यमिता का उत्सव मनाने और नवाचार को बढ़ावा देंकर एक साथ लाना था।

21. असेंड: असेंड (एक्सेलेरेटिंग स्टार्टअप कैलिबर एंड एंटरप्रेन्योरियल ड्राइव) के तहत, उद्यमशीलता के प्रमुख पहलुओं पर ज्ञान को सक्षम करने और बढ़ाने तथा स्टार्टअप बनाने की दिशा में प्रयास जारी रखने के उद्देश्य से सभी आठ पूर्वोत्तर राज्यों के लिए स्टार्टअप और उद्यमशीलता एवं इन राज्यों में एक सुदृढ़ इकोसिस्टम पर संवेदीकरण कार्यशालाएं आयोजित की गईं।

22. स्टार्टअप इंडिया इन्वेस्टर कनेक्ट पोर्टल को सिडबी के साथ स्टार्टअप इंडिया पहल के तहत सह-विकसित किया गया है, जो एक मध्यस्थ मंच के रूप में कार्य करता है जो विभिन्न उद्योगों, कार्यों, चरणों, क्षेत्रों और पृष्ठभूमि के उद्यमियों को संगठित करने में सहायता करने के लिए स्टार्टअप और निवेशकों को पूंजी से जोड़ता है। पोर्टल विशेष रूप से सक्षम बनाने के उद्देश्य से बनाया गया है; अग्रणी निवेशकों/उद्यम पूंजी कोषों के सामने स्वयं को प्रदर्शित करने के लिए शुरुआती चरण के स्टार्टअप देश में कहीं भी स्थित हैं।

23. नेशनल मेंटरशिप पोर्टल (एमएएआरजी): देश के प्रत्येक भाग में स्टार्ट-अप्स के लिए मेंटरशिप की पहुंच को सुविधाजनक बनाने के लिए, स्टार्ट-अप इंडिया इनिशिएटिव के तहत मेंटरशिप, एडवाइजरी, असिस्टेंस, रेजिलिएशन और ग्रोथ (एमएएआरजी) प्रोग्राम विकसित और लॉन्च किया गया है।

प्रशिक्षित अभ्यर्थियों, स्थापित उद्यमों और जारी की गई सब्सिडी का राज्य-वार तथा वर्ष-वार आंकड़ा निम्नानुसार है:

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	2019-2020			2020-2021			2021-2022			2022-2023			2023-2024			2024-2025		
		प्रशिक्षित अभ्यर्थियों की संख्या	स्थापित कृषि उद्यमों की संख्या	सब्सिडी की संख्या	प्रशिक्षित अभ्यर्थियों की संख्या	स्थापित कृषि उद्यमों की संख्या	सब्सिडी की संख्या	प्रशिक्षित अभ्यर्थियों की संख्या	स्थापित कृषि उद्यमों की संख्या	सब्सिडी की संख्या	प्रशिक्षित अभ्यर्थियों की संख्या	स्थापित कृषि उद्यमों की संख्या	सब्सिडी की संख्या	प्रशिक्षित अभ्यर्थियों की संख्या	स्थापित कृषि उद्यमों की संख्या	सब्सिडी की संख्या	प्रशिक्षित अभ्यर्थियों की संख्या	स्थापित कृषि उद्यमों की संख्या	सब्सिडी की संख्या
1	आंध्र प्रदेश	196	60	1	71	12	2	67	141	0	118	7	1	135	28	0	0	2	1
2	अरुणाचल प्रदेश	0	0	0	0	0	0	13	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	असम	53	0	1	0	0	1	27	24	3	31	29	3	0	0	1	0	0	0
4	बिहार	138	81	0	5	67	0	171	48	0	90	43	2	151	69	2	0	0	0
5	चंडीगढ़	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	छतीसगढ	136	0	2	0	0	8	60	44	6	21	7	3	15	38	3	0	0	2
7	दिल्ली	0	0	0	1	0	0	3	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0
8	गोवा	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	2	0	1	1	0	0	0	0
9	गुजरात	170	27	1	0	59	5	105	39	0	87	22	0	52	22	1	0	0	1
10	हरियाणा	70	1	24	4	1	5	8	5	1	9	6	1	9	5	0	0	0	2
11	हिमाचल प्रदेश	0	0	0	5	0	1	2	3	0	0	0	0	2	1	0	0	0	1
12	जम्मू एवं कश्मीर	0	0	0	32	0	0	0	0	0	0	0	0	33	0	0	0	0	0
13	झारखंड	25	0	0	0	0	0	11	12	1	1	0	0	30	6	0	0	0	0
14	कर्नाटक	157	70	30	4	57	15	147	25	8	153	84	20	324	136	9	0	15	2
15	केरल	16	0	0	1	0	3	14	1	0	23	8	3	0	0	2	0	7	1
16	मध्य प्रदेश	762	660	18	70	298	20	548	362	17	386	156	17	374	187	28	0	7	12
17	महाराष्ट्र	2312	1154	41	493	1040	62	2091	1355	52	1669	1242	37	1725	770	48	0	87	15
18	मणिपुर	34	0	5	0	0	0	33	6	1	17	1	0	0	0	0	0	0	0
19	मेघालय	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0
20	मिजोरम	0	0	0	0	0	0	0	0	0	17	0	0	0	0	2	0	0	0
21	नगालैंड	0	0	1	0	0	0	3	0	1	0	1	0	0	0	1	0	0	0
22	ओडिशा	21	0	1	0	0	1	1	2	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	पांडिचेरी	29	0	0	0	0	0	4	0	0	2	2	0	9	2	0	0	0	0
24	पंजाब	0	0	0	1	0	1	1	5	0	0	1	0	2	1	0	0	0	0
25	राजस्थान	262	154	3	78	77	4	372	188	2	341	247	6	213	45	4	0	0	3
26	सिक्किम	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	तमिलनाडु	158	5	22	65	143	24	532	289	32	584	380	42	495	290	18	0	93	12
28	तेलंगाना	705	328	5	71	7	12	192	174	29	161	4	64	136	41	26	0	0	4
29	त्रिपुरा	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
30	उत्तर प्रदेश	1755	719	144	287	712	99	1234	672	143	1055	484	59	1177	796	90	0	17	24
31	उत्तराखंड	33	2	4	2	2	3	26	10	1	23	5	6	41	34	2	0	0	3
32	पश्चिम बंगाल	22	0	12	0	0	5	2	2	2	2	0	3	39	39	2	0	0	0
	योग	**7054**	**3261**	**315**	**1190**	**2475**	**271**	**5668**	**3408**	**300**	**4794**	**2733**	**267**	**4964**	**2511**	**241**	0	228	**83**

****